प्रेस नोट
दिनांक 26.06.2024

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–185/24, धारा 363,366,376(2)एन भादवि व 5एल/6 पॉक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विमलेश कुमार पुत्र मुन्नीलाल नि0 पिपरा पुरूषोत्तम थाना मदनपुर जनपद देवरिया को बंदुली मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 11.05.2024 को थाना इटियाथोक क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना इटियाथोक में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी बहन कल रात में घर में सोई थी लेकिन वह सुबह बिस्तर पर नही थी। काफी खोजबीन करने के उपरान्त उनकी बहन का कही पता नही चल पा रहा है। वादी की तहरीर पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 उ0नि0 रवीन्द्र कुमार रमन को सुपुर्द की गयी थी। आज दिनांक 26.06.2024 को थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त विमलेश कुमार को बंदुली मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विमलेश कुमार पुत्र मुन्नीलाल नि0 पिपरा पुरूषोत्तम थाना मदनपुर जनपद देवरिया।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–185/24, धारा 363,366,376(2)एन भादवि व 5एल/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 रवीन्द्र कुमार रमन।
02. का0 अमित तोमर।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 26.06.2024

गैंगस्टरो की अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति कीमती करीब 45,29,829/– रुपयें की (पक्के मकान) कुर्क, गोकशी/गो तस्करी के अपराध मे लिप्त थे अभियुक्तगण–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गोकशी के अपराध में लिप्त 05 गैंगस्टरों– यूनूस पुत्र चिल्लू उर्फ इरशाद अली, 02. सरदार कुरैशी पुत्र फौजदार, 03. जुमई पुत्र बाबमुनी, 04. चुन्ना उर्फ प्लास्टिक उर्फ जाकिर पुत्र मुसीबत अली उर्फ मूसे, 05. अख्तर आलम पुत्र गुलाम हुसैन द्वारा अपने अपराधिक कृत्यों से अर्जित किये गये रुपयों से बनवाये गए मकानों को धारा 14(1) गिरोह बन्द अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी गोण्डा के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह व उपजिलाधिकारी सदर गोण्डा एवं प्र0नि0 खरगूपुर मय पुलिस टीम के द्वारा जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों के मकानों को जब्त कर सीज किया गया। जब्त किये गये मकानों की कीमत करीब 45,29,829/– रुपये है। इस कार्यवाही से गोकशी/गो तस्करी के अपराध मे लिप्त अपराधियों मे भय का माहौल व्याप्त है। गैंगस्टरों के विरुद्ध उनके द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही आगे भी निरन्तर चलती रहेगी। जब्त किये गये मकानों एवं टीम का विवरण निम्नवत है:–

जब्त सम्पत्ति का विवरण–

01. यूनूस पुत्र चिल्लू उर्फ इरशाद का 66 स्क्वायर मीटर में फैला एक पक्का मकान, कीमती–8,74,163/–
02. सरदार कुरैशी पुत्र फौजदार का 67.24 स्क्वायर मीटर में फैला एक पक्का मकान, कीमती–10,35,496/–
03. जुमई उर्फ प्लास्टिक उर्फ जाकिर पुत्र मुसीबत का 50.70 स्क्वायर मीटर में फैला एक पक्का मकान, कीमती–5,39,277/–
04. चुन्ना उर्फ प्लास्टिक उर्फ जाकिर पुत्र मुसीबत अली उर्फ मूसे का 110.73 स्क्वायर मीटर में फैला एक पक्का मकान, कीमती–14,01,928/–
05. अख्तर आलम पुत्र गुलाम हुसैन का 53.63 स्क्वायर मीटर में फैला एक पक्का मकान, कीमती–6,78,965/–

पंजीकृत अभियोग

01.मु0अ0सं0 144/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

नये भारत के नये कानून:–

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 01 जुलाई से लागू हो रहे 03 नए कानूनों को जमीनी स्तर पर आमजनमानस को अवगत कराने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देशः–

गोण्डा। आज दिनांक 26.06.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 01.07.2024 से लागू होने वाले 03 नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) से आमजनमानस को जमीनी स्तर पर जानकारी देने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए है। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त थाना प्रभारी यह सुनिश्चित कर ले कि नए कानूनो के लागू होने के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्ति के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा । जिसमें नये कानूनों के बारे में उपस्थित गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्तियों को विस्तार से अवगत कराया जायेगा तथा प्रबुद्ध/सम्भ्रांत व्यक्तियों को नये कानूनों के सम्बन्ध में तैयार किये गये पम्पलेटों का वितरण किया जायेगा तथा थाने में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित अपराधों के बारे में क्षेत्र में भ्रमण कर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया जायेगा। थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर प्रशिक्षण एवं अभियोजन निदेशालय द्वारा भेजे गए बैनर/पोस्टर लगाये जायेंगे तथा स्थानीय स्तर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो से तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी नये कानूनों के प्राविधानों का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 26.06.2024

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़के को बहला–फुसला कर भगा ले जाने की आरोपी अभियुक्ता को हुई 20 का सश्रम कारावास व रूपए 30,000 हजार के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप नाबालिग लड़के को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने की आरोपी अभियुक्ता राधा वर्मा को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई है।

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़के को बहला–फुसला कर भगा ले जाने की वांछित अभियुक्ता–राधा वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अशोक सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 मनकापुर के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्ता को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट गोण्डा ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास व रू 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्ता का नाम पता–

01. राधा वर्मा पति शिवकुमार वर्मा नि0 नन्दगांव जोगापुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–229/2021, धारा 363,419,420,467,468,471 भादवि व 3/4 पॉक्सों ऐक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।